कृषि विभाग में संचालित किये जाने वाले विभिन्न योजनाओं में कृषकों को देय अनुदान का विवरण

अः– केन्द्रपोषित योजनायें –

1– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–रफ्तार (RKVY-RAFTAAR)

- **एकीकृत कृषि एवं भूमि संरक्षण कार्यक्रमः** इस परियोजना के अन्तर्गत प्रेदश के विभिन्न जनपदों में एकीकृत कृषि विकास कार्य सम्पादित किया जा रहा है, जिसमें कृषकों के खेतों में चेक डेम, चेक वॉल, पौध रोपण, उद्यानीकरण, सुरक्षा दीवार, कृषि कार्य, घास रोपण आदि कार्य किये जाते है।
- **एकीकृत बहुउददेशीय जल सम्भरण परियोजना–** इस परियोजना का उददेश्य मृदा एवं जल संरक्षण के साथ–साथ किसानों को एक ही इकाई से बहुत से लाभ दिलवाना है। जल सम्भरण टैंकों का उपयोग सिंचाई के साथ–साथ मत्स्य पालन तथा मुर्गीपालन इकाईयों को बढ़ावा देकर किसानों के लिए अतिरिक्त आय का सृजन करना।
- **हिल सीड्स बैंक (पर्वतीय फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम):–** पर्वतीय फसल प्रजातियों के प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभाग द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित कराया जा रहा है।
  उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों जैसे– उद्यान, रेशम, सगन्ध पौध केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, आदि द्वारा योजनान्तर्गत परियोजना संचालित की जा रही है।

2– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)

प्रदेश में चावल, गेहूँ, दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज एवं तिलहन फसलों को उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 फण्डिंग पैटर्न पर संचालित है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन– चावल, गेहूँ ,दलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज एवं तिलहन फसलों के मानक का वितरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	कार्य मद	अनुदान के मानक
1	**क्लस्टर प्रर्दशन**	रु0 9000 प्रति है0 (धान,गेहूँ व दलहन) रु0 6000 प्रति है0 (मोटा अनाज, पौष्टिक अनाज व सोयाबीन) रु0 6000 प्रति है0 (मोटा अनाज व पौष्टिक अनाज) रू० 3000 प्रति है0, (तोरिया/सरसों/राई/तिल)
	क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड प्रदर्शन	रु0 15000 प्रति है0
2	**बीज वितरण**	हाइब्रिड–राइस बीज एवं संकर मक्का बीज मूल्य का 50% या रु0 10000/कुंतल जो भी कम हो
		अधिक उपजायी प्रजाति बीज वितरण(10 वर्ष से अधिक अवधि की प्रजातियॉ) **धान व गेहूँ–** मूल्य का 50% या रु0 1000/कुंतल जो भी कम हो **दलहन प्रजातियॉ–**मूल्य का 50% या रू0 2500/कुंतल जो भी कम हो **मक्का–** मूल्य का 50% या रू0 1500/कुंतल जो भी कम हो
		अधिक उपजायी प्रजाति बीज वितरण (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियॉ) **धान व गेहूँ–** मूल्य का 50% या रु0 2000/कुंतल जो भी कम हो **दलहन प्रजातियॉ–**मूल्य का 50% या रू0 5000/कुंतल जो भी कम हो **मक्का, मण्डुवा/सांवा–** मूल्य का 50% या रु0 3000/कुंतल जो भी कम हो
		सोयाबीन/तोरिया/सरसों/राई– मूल्य का 50% या रु0 4000/कुंतल जो भी कम हो
3	**बीज उत्पादन (10 वर्ष से कम अवधि की प्रजातियॉ)**	अरहर, मूंग, ऊर्द, चना, गहत, मसूर आदि– मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 5000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो रागी/मण्डुवा/ सांवा/झंगोरा – मूल्य का 50 प्रतिशत या रू0 3000.00 प्रति कु0 जो भी कम हो तिलहन– आधारीय बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रू० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो) प्रमाणित बीज उत्पादन (मूल्य का 50% या रू० 2500 प्रति कु0 जो भी कम हो)
4	**पौध एवं मृदा प्रबन्धन**	–सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन एवं जैव रसायन, खरपतवारनाशी वितरण–मूल्य का

		50% या रु0 500/हैक्टेयर जो भी कम हो
5	**यंत्र वितरण एवं जल प्रयोग यंत्र–**	**अ)** मैनुअल स्प्रेयर, पॉवर स्प्रेयर, सीड ड्रिल, पावर टिलर, सीड ड्रिल, ड्रम सीडर, पावर वीडर्स, रोटावेटर, लेजर लैण्ड लेवलर, पैडी थ्रेसर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, जल पंप मूल्य का 50%/मानक के अनुसार
		ब) जल संवहन पाइप– मूल्य का 50% या एच0डी0ई0 पाइप हेतु रू0 50/मीटर, (Limited to ceiling of Rs. 15000 per farmer / Beneficiary)
6	**कृषक प्रशिक्षण–**	रू0 3500/सत्र या रु0 14000 प्रति प्रशिक्षण
7	**लोकल इनसियेटिव–**	50 घन मी0 अथवा 50000 लीटर क्षमता के जल सम्भरण पक्के टैंकों हेतु सहायता (सामूहिक टैंक) (एन0एम0एस0ए0 के मानको के अनुसार)रु0 2.50 लाख/है0
8	**स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदर्शन**	रु0 9900/है0
9	**कस्टम हायरिंग हेतु सहायता**	रू0 1500/है0

3– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

- मौसम खरीफ 2016 से प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना संचालित है। यह केन्द्रपोषित योजना 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से वित्त पोषित है जो कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत 18 बीमा कम्पनियों के सहयोग से चलाई जा रही है। प्रदेश में सभी जनपदों में योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल में चावल, मण्डुवा तथा मौसम रबी में फसल गेहूँ को संसूचित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल व पिथौरागढ़ में मौसम रबी में फसल मसूर भी संसूचित है। यह योजना भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित की जा रही है।

योजना का उद्देश्य :–

- किसी प्राकृतिक आपदा, अन्य जोखिम से संसूचित फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज।
- खेती में बने रहने के लिए कृषि आय को स्थिर करना।
- किसानों को कृषि में प्रगतिशील कृषि तरीकों, उच्च मूल्य आदानों एवं उच्चतर प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना।
- उत्पादन जोखिम से कृषको की रक्षा करने के अलावा, कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह, खाद्य सुरक्षा, फसलविविधीकरण को बढ़ाने और कृषि क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में योगदान करना।

आच्छादित किये जाने वाले किसानः– संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसलों को उगाने बाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान आच्छादित किये जाते हैं। योजना समस्त कृषकों के लिये खरीफ 2020 से एच्छिक की गयी है। यह योजना मौजूदा ऋणी कृषकों के लिए ऐच्छिक (आप्ट आउट मोड) पर काम करेगी।

संसूचित फसलेंः– प्रदेश में योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ में फसल चावल, मण्डुवा तथा रबी में गेहूं व मसूर (जनपद पौड़ी एवं पिथौरागढ़) पर योजना संचालित की जा रही है।

संसूचित इकाईः– मौसम खरीफ 2022 से प्रदेश के समस्त जनपदों में फसल धान, मण्डुवा तथा गेहूं को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित की जा रही है। फसल मसूर को जनपद स्तर पर संसूचित किया गया है।

कवर किये गये जोखिम एवं अपवाद :– निम्नलिखित अवस्थाओं और जोखिम के कारण होने वाले फसल की क्षति को योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया हैः–

(1) बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति में : अल्पवृष्टि/अतिवृष्टि अथवा अन्य मौसम कारकों के विपरीत प्रभाव के कारण बुवाई न हो पाने की स्थिति में बीमा राशि का अधिकतम 25% तक का दावा भुगतान किया जा सकता है यदि किसी संसूचित क्षेत्र में संसूचित फसल की बुवाई की जाने वाले क्षेत्रफल में से 75 प्रतिशत क्षेत्रफल पर बुवाई नहीं होती है।

(2) फसल की अवधि में नुकसान होने की स्थिति में : फसल की अवधि (Crop Duration) में कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, लम्बी सूखे की दशा, भंयकर सूखा आदि होता है तो सम्भावित क्षतिपूर्ति का 25% तक दावा भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है यदि संसूचित क्षेत्र में अनुमानित उपज़ थ्रैसहोल्ड उपज़ के 50% से कम है। यदि उक्त स्थिति सामान्य फसल कटाई अवधि (क्राप कैलेण्डर के अनुसार) के 15 दिन के पूर्व तक होती है तो उपरोक्त शर्त लागू नहीं होती है।

(3) फसल कटाई के उपरान्त खेत में सुखाने के लिये विखेर कर रखी हुई फसल में नुकसान होने की स्थिति में (Post Harvest Losses) :– प्राकृतिक आपदायें यथा चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बैमौसमी बारिश एवं ओलावृष्टि के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसस से क्षति

सम्बन्धी आंकलन व्यक्तिगत आधार पर सभी जनपदों में किया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, यदि कटी हुई फसल खेत में अधिकतम 14 दिन तक सूखने के लिए विखेर कर रखी जाती है तथा इस अवधि में उपरोक्त वर्णित कारणों से होने वाली क्षति के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा।

(4) स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आकलनः स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना तथा बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति सम्बन्धी आंकलन किया जायेगा। इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, युद्ध एवं आणविक खतरों, शरारतपूर्ण क्षति एवं अन्य रोके जा सकने वाले जोखिम से होने वाली क्षति को इससे बाहर रखा गया है।

प्रीमियम दर पर राज सहायता :–

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसलों के लिये कृषकों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम की दर निम्न प्रकार हैः–

क्र.सं.	मौसम	फसलें	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम की दरें
1	खरीफ	धान, मण्डुवा, बाजरा एवं तिलहन, अन्य फसलें	बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो
2	रबी	गेहूं तथा अन्य फसलें	बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो
3	खरीफ एवं रबी	वार्षिक नकदी / वार्षिक बागवानी फसलें	बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक दर में से जो भी कम हो

खरीफ में 2 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम तथा रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत से अधिक प्रीमियम की धनराशि सब्सिडी के रूप में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में बीमा कम्पनी को भुगतान की जाती है। बीमा योजना का संचालन ए.आई.सी. तथा भारत सरकार द्वारा अधिकृत बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाता है।

फसल बीमा पोर्टल एवं ऐप–

भारत सरकार के द्वारा फसल बीमा की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु FARMER PORTAL (www.pmfby.gov.in) तथा Crop Insurance Mobile App तैयार किया गया है जिसके द्वारा कृषक बीमा योजना से सम्बन्धित जानकारी तथा बीमित फसल, बीमित क्षेत्रफल के आधार पर बीमित धनराशि, प्रीमियम की गणना प्राप्त कर सकता है।

(1) योजना को क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक संसूचित फसलों के लिए निश्चित इकाई क्षेत्र आधार पर क्रियान्वित किया जाता है।

(2) स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलप्लावन, बादल फटना तथा बिजली गिरने से लगने वाली प्राकृतिक आग, चक्रवात, चक्रवाती बारिश तथा बैमौसमी बारिश के लिए निजी आधार पर किया जाता है।

4. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD) : योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है। प्रदेश में वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एकीकृत खेती प्रणाली, जल उपयोग दक्षता, उचित मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केन्द्रित, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन प्रदेश में वर्ष 2014–15 से निरन्तर संचालित है। दिनांक 23 मार्च, 2023 को भारत सरकार द्वारा निर्गत "New Operational Guidelines" में दिशा निर्देश उपलब्ध कराया गया है। इसके अन्तर्गत विभिन्न समेकित फसल प्रणालियों के प्रदर्शन, मौन पालन, वर्मी कम्पोस्ट संरचनायें, साइलेज इकाईयों का निर्माण, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम संचालित है। इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम है–

क्र.स	मद	कियाकलाप	प्रस्तावित लागत मानदंड
1	एकीकृत कृषि प्रणाली	फसलें (मिलेट्स फसलें / तिलहन / दालें / सब्जियां / चारा) + पेड़ (बागवानी / कृषि वानिकी) + पशुधन {दुधारू गाय / भैंस / छोटे जुगाली करने वाले (10 जानवर (भेड़ या बकरी या सूअर) / 50 पक्षी (बतख / मुर्गी पालन)}	क्रम संख्या 1 में दी गई एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रत्येक कृषक परिवार को रू 30,000/– (तीस हजार) प्रदान किए जाएंगे और आवश्यकता के आधार पर क्रम संख्या 2 से 5 पर दी गई कम से कम दो गतिविधियों को शामिल किया जाएगा जो कि निर्भर करेगा फार्म हाउस होल्ड, उपलब्ध संसाधन और अभिसरण तंत्र पर। 30,000/– रुपये की सहायता सभी किसानों के लिए एक समान होगी, चाहे उनकी भूमि जोत का आकार कुछ भी हो।
2	मत्स्य पालन (फिंगरलिंग) इकाइयाँ	तालाबों या चावल के खेत में मछली पालन	
3	मधुमक्खी पालन (मधुमक्खी) रखते हुए)	वृक्षारोपण/ मिलेट्स /फसलों के तहत प्रति खेत एक इकाई।	
4	साल भर हरे चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए साइलेज बनाना	चैफ कटर और वजन तराजू के प्रावधान के साथ जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर साइलो पिट का निर्माण	
5	वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ/जैविक	उत्पादन इकाई, हरी खाद	

	इनपुट	वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों, जैविक इनपुट उत्पादन इकाइयों और हरी खाद का निर्माण।	
6	क्षमता निर्माण	एसआरएलएम के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), स्वयं सहायता समूहों, एनएफ कार्यक्रम के तहत चौंपियन किसानों आदि के माध्यम से लाभार्थियों की निगरानी और क्षमता निर्माण।	रु. 10,000/– प्रति क्लस्टर
7	योजना में चयनित लाभार्थियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण	स्यॉल हेल्थ कार्ड पोर्टल के मानकानुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड जेनेरेशन व वितरण	
8	व्यवस्थापक लागत	आरकेवीवाई मानदंडों के अनुसार	

5. सॉईल हैल्थ कम्पोनेन्ट (SHC)-

- योजना केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के फंडिंग पैटर्न पर संचालित है।
- योजनान्तर्गत नयी चल एवं सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, पहले से स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण।
- योजना में मृदा नमूना विश्लेषण के पश्चात कृषकों को सभी आवश्यक संस्तुतियों सहित मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

6. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) –

परम्परागत कृषि विकास योजना के अर्न्तगत परम्परागत कृषि फसलों जैसे धान्य फसलें मण्डुवा, झंगोरा, चीणा, दलहनी फसलों जैसे तोर, उड़द, नौरंगी, मसूर, गहत, कुल्थी तथा तिलहनी फसलों सोयाबीन, भट्ट, तिल, तोरिया/सरसों आदि की जैविक खेती में परम्परागत तकनीकी एवं आधुनिक कृषि तकनीकी का यथा संभव समावेश कर इन फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करते हुए कृषकों की आय बढाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 से भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन के अन्तर्गत परम्परागत कृषि विकास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है, जो कि 90 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है।

योजना का मुख्य उद्देश्य कलस्टर एप्रोच के आधार पर चयनित जैविक ग्रामों में पी0जी0एस0 सर्टीफिकेशन के अन्तर्गत जैविक कृषि का प्रोत्सहित किया जाना है। वर्ष 2015–16 से वर्ष 2017–18 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 585 कलस्टर मे योजना का संचालन किया गया। जिसके अन्तर्गत 11700 है0 क्षेत्रफल को जैविक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है।

उत्तराखण्ड को जैविक प्रदेश बनाने में गति प्रदान करने हेतु वर्ष 2018–19 से पी0के0वी0वाई0 योजना का 3900 नये समूहों/कलस्टरों में कियान्वयन भारत सरकार द्वारा संसोधित नई गाईड लाईन के अनुसार किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत जैविक खेती पर कृषक प्रशिक्षण एवं कृषकों को एक्सपोजर भ्रमण कार्यक्रम कराया जा रहा है तथा पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण, जैव निवेशों के वितरण, जैविक उत्पादों का विपणन, ब्रांड ब्यूल्डिंग, मेले, प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार एवं स्थानीय मेलों तथा राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग हेतु योजना की नई गाईड लाईन के अनुसार कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत कार्यमद एवं राज सहायता

क्र0 सं0	कार्यमद	व्यय के मानक (रू0/है0)		
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	कलस्टर गठन, प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण	1000	1000	1000
2	प्रक्षेत्र कार्मिकों का तैनाती एवं योजना कियान्वयन के प्रबन्धन हेतु व्यय	1500	1500	1500
3	भौतिक सत्यापन, प्रमाणीकरण प्रकिया एवं प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सेवा शुल्क	700	700	700
4	जोनल काउंसिल/विभाग के माध्यम से एन.ए.बी.एल. अधिकृत प्रयोगशालाओं में रसायन अवषिश्ट विष्लेषण (3 नमूना/एल.आर.पी. क्षेत्र(100 है0)	–	300	300
5	डी.बी.टी. के माध्यम से जैविक में परिवर्तन, ऑन फार्म एवं ऑफ फॉर्म निवेशों हेतु कृषकों को प्रोत्साहन धनराशि	12000	10000	9000
6	मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्राडिंग, किराया, परिवहन आदि हेतु वित्तीय सहायता	–	500	1000
7	कृषक समूहों के माध्यम से मूल्य संवर्धन, संरचना निर्माण	–	1000	1000
8	ब्रांड ब्यूल्डिंग, मेले, प्रदर्शनी, प्रचार–प्रसार एवं स्थानीय मेलों तथा राष्ट्रीय मेलों में प्रतिभाग	1300	2000	2000
	कुल योग	16500	17000	16500

7– सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना की घटक योजना ''सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफार्मस आतमा''–योजना में में संचालित मुख्य गतिविधियॉ एवं मानक–

क0सं0	कार्यक्रम	राज्य सहायता के मानक	विवरण
1.	**कृषक प्रषिक्षण–** (अन्तर्राज्यीय, राज्यान्तर्गत, जिलान्तर्गत)	क्रमशः रू0 1250, रू0 1000 एवं रू0 400/250 प्रति कृषक प्रतिदिन	कृषकों को समय–समय पर सम्बन्धित संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
2.	**प्रदर्शन–** कृषि, रेखीय विभाग–उद्यान/ पशुपालन /रेशम/ मत्स्य आदि के प्रदर्शन	रू0 4000 प्रति एकड़	कृषि एवं रेखीय विभागों से सम्बन्धित विषयों पर समय–समय पर कृषकों के प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन आयोजित किया जाता है।
3.	**कृषक भ्रमण कार्यक्रम–** (अन्तर्राज्यीय, राज्यांतर्गत, जिलांतर्गत)	क्रमशः रू0 1000, रू0 500 एवं रू0 300 प्रति कृषक प्रतिदिन	कृषि एवं रेखीय विभागों के कृषकों को समय–समय पर अध्ययन भ्रमण कराया जाता है।
4.	कृषक समूहों का क्षमता विकास/ सीडमनी– प्रति समूह–प्रति वर्ष/ प्रति समूह– एक बार	रू0 5000/10000 प्रति समूह	उपयोगी वस्तु (commodity) आधारित स्वंय सहायता समूह को उनकी क्षमता में वृद्वि हेतु प्रशिक्षण एवं आवश्यकता अनुरूप रिवॉलविंग फन्ड प्रदान किया जाता है।
5.	**किसान मेलों का आयोजन–** (प्रति जनपद)	अधिकतम रू0 4,00,000 प्रति जनपद	किसान मेलों के माध्यम से कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है।
6.	कृषक वैज्ञानिक संवाद	रू0 20000 प्रति संवाद	प्रत्येक वर्ष खरीफ एवं रबी में कृषकों और वैज्ञानिकों के मध्य समस्याओं के समाधान एवं सुझाव हेतु संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
7.	**किसान गोष्ठी/फील्ड डे–** (जनपद/विकासखण्ड स्तर)	रू0 15000 प्रति गोष्ठी	किसान गोष्ठी/फील्ड डे के माध्यम से कृषकों को नवीनतम तकनीकी से अवगत कराया जाता है।
8.	फार्म स्कूल– (विकासखण्ड स्तर)	रू0 29,414 प्रति फार्म स्कूल	प्रगतिशील एवं अनुभवी कृषकों के माध्यम से फार्म स्कूल स्थापित कर अन्य कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता है।
9.	**कृषक पुरस्कार–** (राज्य स्तर, जनपद स्तर एवं ब्लाक स्तर)	क्रमशः रू0 50000, रू0 25000 एवं रू0 10000 प्रति कृषक	विभिन्न इन्टरप्राईजेज के कृषकों को क्रमशः किसान रत्न, किसान भूषण एवं किसान श्री श्री की उपाधि से सम्मानित किया जाता है।

8– सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन (SMAM) (90% केन्द्रपोषित)

यह योजना 90 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 10 प्रतिशत राज्यांश पर संचालित है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में फार्म पॉवर 0.5 कि०वॉट प्रति है० है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लगभग 3 कि0वॉट प्रति है० है। पर्वतीय क्षेत्रों में औसतन ड्राफ्ट पॉवर काफी कम है। पर्वतीय क्षेत्रों में जोतों का आकार कम होना, सीढ़ीदार खेत, बिखरी जोत का होना, आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग में एक मुख्यः अवरोध है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 से राष्ट्रीय तकनीकी एवं प्रसार मिशन के अन्तर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन चलायी जा रही है। योजना से प्रदेश के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों को कृषि यन्त्रीकरण में आच्छादित किया जा सकता है, जिसके लिये विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र एवं फार्म पॉवर के अनुपात में 2 कि०वॉट प्रति है० तक की वृद्धि करने के लिये कृषि यंत्रीकरण योजना महत्वपूर्ण है।

योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान के मानक निम्ननुसार है–

क्र.सं.	यंत्र का नाम	अनुदान के मानक एस.सी./एस.टी./लघु एवं सीमान्त एवं महिला कृषकों के लिए एस.एम.ए.एम. के अनुसार
1	पॉवर टिलर 8 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम रू० 65000.00 जो भी कम हो।
2	पॉवर टिलर 8 बीएचपी एवं अधिक	50% या अधिकतम रू० 85000.00 जो भी कम हो।
3	पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से कम	50% या अधिकतम रू० 25000.00 जो भी कम हो।
4	पावर वीडर पावर चालित 2 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम रू० 35000.00 जो भी कम हो।
5	पावर वीडर पावर चालित 5 बीएचपी से अधिक	50% या अधिकतम रू० 63000.00 जो भी कम हो।
6	चैफ कटर (power /drawn below 3 hp)	50% या अधिकतम रू० 20000.00 जो भी कम हो।
7	चैफ कटर (power /drawn below 3 to 5 hp)	50% या अधिकतम रू० 28000.00 जो भी कम हो।
8	चैफ कटर मानव चालित	50% या अधिकतम रू0 6300.00 जो भी कम हो।

9	ब्रश कटर	50% या अधिकतम रू० 40000.00 जो भी कम हो।
10	नैपसेक स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (मानव चालित)	50% या अधिकतम रू० 750.00 जो भी कम हो।
11	स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित)	50% या अधिकतम रू0 3800.00 जो भी कम हो।
12	स्प्रेयर कृषि रक्षा यंत्र (शक्ति चालित) 16 ली0 क्षमता	50% या अधिकतम रू0 10000.00 जो भी कम हो।
13	मल्टीकॉप थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)	50% या अधिकतम रू० 100000.00 जो भी कम हो।
14	थ्रैसर (4 टन प्रति घण्टा पावर 5 एच पी से अधिक)	50% या अधिकतम रू० 100000.00 जो भी कम हो।
15	पेडी थ्रैसर/(5 एच0 पी0 से कम)	50% या अधिकतम रू० 40000.00 जो भी कम हो।
16	थ्रैसर(5 एच.पी. से कम)	50% या अधिकतम रू० 40000.00 जो भी कम हो।
17	ट्रेक्टर 20 से 40 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रू० 2.50 लाख जो भी कम हो।
18	ट्रेक्टर 40 से 70 पी0टी0ओ0एच0पी0	50% या अधिकतम रू० 4.25 लाख जो भी कम हो।
19	रीपर कम बाईन्डर (सेल्फ प्रोपेल्ड 4 वील)	50% या अधिकतम रू० 2.50 लाख जो भी कम हो।
20	स्ट्रॉ रीपर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रू० 1.30 लाख जो भी कम हो।
21	लेजर लेण्ड लेवलर	50% या अधिकतम रू० 2.00 लाख जो भी कम हो।
22	सुपर सीडर 35 एच0पी0 से अधिक	50% या अधिकतम रू० 1.05 लाख जो भी कम हो।
23	जीरो ट्रिल सीड कम फर्ट्रीलाइजर ड्रिल (9 टाइन)	50% या अधिकतम रू० 0.213 लाख जो भी कम हो।
24	जीरो ट्रिल सीड कम फर्ट्रीलाइजर ड्रिल (11 टाइन)	50% या अधिकतम रू० 0.241 लाख जो भी कम हो।
25	रोटावेटर (6 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.448 लाख जो भी कम हो।
26	रोटावेटर (7 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.476 लाख जो भी कम हो।
27	रोटावेटर (8 फीट)	50% या अधिकतम रू० 0.504 लाख जो भी कम हो।
28	पलवराईजर आटा चक्की	50% या अधिकतम रू० 35000.00 जो भी कम हो।
29	वाटर लिफ्टिंग पम्प 10 एच.पी. तक	50% या अधिकतम रू० 18000.00 जो भी कम हो।
30	मंडुवा थ्रेसर मानव चालित	50% या अधिकतम रू० 10000.00 जो भी कम हो।
31	विनोईंग फैन	50% या अधिकतम रू० 10000.00 जो भी कम हो।
32	हार्टीकल्चर हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रू० 10000.00 जो भी कम हो।
33	गार्डन हैण्ड टूल	50% या अधिकतम रू० 1200.00 जो भी कम हो।
34	पर्वतीय छोटे कृषि यंत्र	50% अनुदान।

9– सब–मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटेरियल (SMSP) अन्तर्गत बीज ग्राम योजना–

पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमाणित बीजों की कमी को पूरा करने के लिए बीज ग्राम योजनान्तर्गत कृषकों को अनुदानित मूल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराये जाते है तथा स्वयं के प्रक्षेत्रों पर ही बीज उत्पादन करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ताकि कृषक गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग कर सके। इस हेतु बीज ग्राम योजना का संचालन किया गया है।

बीज अनुदानः– वर्ष 2014–15 से योजनान्तर्गत कृषकों को 1 एकड़ क्षेत्रफल हेतु प्रमाणित एवं आधारीय बीजों पर धान्य फसलों में बीज के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम निर्धारित मूल्य तथा दलहन एवं तिलहन फसलों में 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम निर्धारित मूल्य अनुदान अनुमन्य है।

- **प्रशिक्षण कार्यक्रमः–** योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिस पर रू0 15000.00 का व्यय प्रस्तावित है।
- **भण्डारण व्यवस्था (बुखारी):–** पर्वतीय विकासखण्डों में 02 कुं0 की क्षमता वाली बुखारी एवं मैदानी जनपदों के विकाखण्डों में 10 कुं0 क्षमता वाली बुखारी अनुदानित मूल्य पर कृषकों को उपलब्ध करायी जायेगी। 10 कुं0 क्षमता वाली बुखारी पर सामान्य कृषकों को मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1000 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिशत या अधिकतम रू0 1500.00 अनुदान देय है तथा 02 कुं0 क्षमता वाली बुखारी पर सामान्य कृषकों को मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू0 300.00 तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को मूल्य का 33 प्रतिशत या अधिकतम रू0 400.00 अनुदान देय है।

10– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को विकसित करना, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, जल स्रोतों का एकीकरण, वितरण एवं सही तकनीकी अपना कर जल का सदुपयोग करना, जल का अपव्यय रोक कर और जल की उपलब्धता बढ़ाकर प्रक्षेत्र पर ही जल की क्षमता में वृद्धि करना, जल की हर बूंद का सदुपयोग करना, जल स्रोतों के रिचार्ज को बढ़ाना एवं टिकाऊ जल संरक्षण (practices) की जानकारी कराना, भूमि जल संरक्षण तथा जन सहभागिता से सिंचाई सुविधाओं का बढ़ाना है।

पी0एम0के0एस0वाई0 (पर ड्रॉप मोर कॉप) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम एवं अनुदान मानक

क्र. सं.	कार्यमद	योजना में अनुदान के मानक	व्यय के मानक
I	**जल संग्रहण संरचनायें**		
	1– जल संरक्षण संरचनायें	NMSA	मूल्य का 100 % या अधिकतम रू0 2.50 लाख/संरचना 01 है0 कमांड क्षेत्रफल
	2– चैक डेम	NMSA	मूल्य का 100 % या अधिकतम रू0 2.5 लाख/इकाई जो भी कम हो
II	**जल संवहन यंत्र**		
	1–एच0डी0पी0ई0 पाइप	NMSA	मूल्य का 50 % या रू0 50/मी0 या अधिकतम रू0 12000/है0
III	**पूरक सिंचाई व्यवस्था**		
	1– जल पम्प	NMSA	मूल्य का 50 % या अधिकतम रू0 15000/इकाई
	2– ट्यूब वेल		
	अ– गहरी एवं उथली ट्यूब वेल	NMSA	मूल्य का 50 % या अधिकतम रू0 25000/इकाई
	ब– गहरी ट्यूब वेल	IWMP	मूल्य का 50 % या अधिकतम रू0 100000/इकाई
IV	**जल संरक्षण का पुर्नउद्धार एवं मरम्मत**	NMSA	मूल्य का 50 % या अधिकतम रू0 15000/इकाई

7– किसान सम्मान निधि योजना–

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु शत–प्रतिशत सहायता के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.–किसान)'' योजना लागू की गई है। जिसके अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में रू0 6000 (रूपये छः हजार मात्र) प्रति वर्ष की धनराशि रू0 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में डी.बी.टी. के माध्यम से स्थानान्तरित किया जा रहा है। जिससे कृषक समय से खाद एवं बीज क्रय कर पायेंगे तथा उन्हें साहूकारों अथवा अन्य हेतु निर्भर नही रहना होगा।

8– प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना–

योजना में 18 से 40 वर्ष तक के सभी भू–धारक लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच सृजित करने के उद्देश्य से किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना संचालित की गई है। इसके अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसान पति–पत्नी अलग–अलग इसके पात्र होंगे। उक्त आयु सीमा के किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रू0 55 से रू0 200 प्रति माह अंशदान करना होगा। इतनी ही धनराशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है। 60 वर्ष की आयु के बाद किसान को रू0 3000 प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी।

9– कृषि अवसंरचना निधि–

कृषि अवसंरचना में सुधार हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए व्यावहारिक परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम–दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा को संगठित करना। योजनान्तर्गत वित्त पोषण की सुविधा के अन्तर्गत सभी प्रकार के ऋण पर 2 करोड रूपये तक की सीमा के अन्तर्गत 3 प्रतिशत की ब्याज सबवेंशन दिये जाने का प्रावधान है। ब्याज सबवेंशन अधिकतम 07 वर्षों के लिए उपलब्ध होगा। 2 करोड़ रूपये से अधिक ऋण की दशा में ब्याज सबवेंशन 2 करोड रूपये तक के ऋण तक सीमित होगा।

ब. राज्य सेक्टर की योजनायें

(1) एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना– असिंचित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019–20 से एकीकृत आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। योजना क्लस्टर आधारित है। एक क्लस्टर में कम से कम 100 कृषकों को सम्मिलित किया जायेगा। प्रत्येक विकाखण्ड से एक ग्राम का चयन किया जायेगा। चयनित ग्राम में मॉडल विपेज के रूप में विकसित किया जायेगा। चयनित ग्रामों में कृषि, उद्यानीकरण, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, चारा उत्पादन, रेशम उत्पादन, डेयरी विकास, जैविक खेती, बीज उत्पादन, प्लान्टिंग मटीरियल, भेड एवं ऊन विकास, जड़ी–बूटी, सगन्ध पौध उत्पादन, विपणन, प्रशिक्षण, पोस्ट हार्वेस्ट आदि सम्मिलित होंगे।

(2) मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना–

उद्देश्यः– राज्य कृषि विकास योजना का उद्देश्य कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए वांछित वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना एवं उसको बनाए रखना है। संक्षेप में योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से वंछित कार्यक्रमों की गैप फिलिंग द्वारा कृषकों को सहायता प्रदान करना।
2. राज्य के कृषि एवं सम्बद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में शिथिलता एवं स्वायत्ता प्रदान करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकतायें/प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए।
4. केन्द्रीत कार्यकलापों के माध्यम से महत्वपूर्ण फसलों में उपज के अंतर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।
5. कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना।
6. आवश्यकतानुसार अन्य कोई योजना जो राज्य के विकास हेतु आवश्यक हो।
7. इस योजना में भारत सरकार/राज्य द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर व्यय किया जायेगा।

पात्रता, मापदण्ड– मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना स्कीम के तहत सम्बद्ध क्षेत्रों की सूची में क्षेत्रीय शस्यपालन (बागवानी सहित), पशुपालन और मात्स्यिकी, डेयरी विकास, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, कृषि वानिकी एवं वन्य जीव रोपण एवं कृषि विपणन, खाद्य भण्डार एवं भांडागार, मृदा एवं जल संरक्षण, अन्य कृषि कार्यक्रम और सहकारिता के निर्धारण के लिए आधार होगा। इसके अलावा ऐसे व्यय जो प्रत्यक्ष रूप से कृषि के विकास से संबंधित है।

(3) जल पम्प स्प्रिंकलर सेट, पॉली हाउस विविधिकरण योजना– केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अन्तर्गत कृषि यन्त्रों पर देय अनुदान के समतुल्य 30 प्रतिशत अनुदान की राशि पर्वतीय जनपदों के कृषकों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

(4) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम– चयनित अनुसूचित बाहुल्य ग्रामों में योजना संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषि निवेश/यंत्र तथा अन्य सुविधायें कृषक समूहों में शत–प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जा रही है।

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रम– चयनित अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में योजना संचालित की गयी। योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषि निवेश/यंत्र तथा अन्य सुविधायें कृषक समूहों में शत–प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जा रही है।